बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company
बिहार सरकार का एक उपक्रम
वेबसाइटः www.bsbccl.bih.nic.in

BSBCCL
Build Green, Live Green!
CIN:U45200BR2008SGC01351313

BIHAR STATE BUILDING CONSTRUCTION CORPORATION LTD.

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company
A Government of Bihar Undertaking
Website: www.bsbccl.bih.nic.in

पत्रांकः– 1423 दिनांक 17/7/2020

कार्यालय आदेश सं०–31/2020

उद्योग विभाग बिहार सरकार के ज्ञापांक–1728 दिनांक–08.06.2020 द्वारा जानकारी के अनुसार बिहार राज्य में प्रवासी कुशल श्रमिकों को रोजगार देने के उद्धेश्य से राज्य के चिन्हित लोक उपक्रमों को जिला आवंटित करने का निर्णय लिया गया है । मुख्यमंत्री कुशल श्रमिक उद्यमी क्लस्टर योजना के अंतर्गत चिन्हित जिलों में प्रवासी मजदूरों को स्वयं सहायता समूह के रूप में तैयार कर उन्हें क्लस्टर के रूप में विकसित किये जाने का कार्य संबंधित लोक उपक्रम को करना है इस क्रम में भवन निर्माण निगम लिमिटेड को अररिया, सुपौल और किशनगंज जिले आवंटित किये गये हैं । विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में दिये गये निर्देश के अनुसार कुशल श्रमिकों के क्लस्टर को भवन/शेड उपलब्ध कराते हुए आवश्यक संयंत्र एवं मशीनरी तथा कच्चे माल की व्यवस्था लोक उपक्रम को करनी है, आवश्यकतानुसार कार्यशील पूंजी को समावेशित करते हुए उत्पादित माल की बिक्री तथा अन्य हेतु न्यूनतम 6 माह तक लोक उपक्रम अपने स्तर से कार्यवाहीं करेंगे ।

इस योजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु निगम स्तर पर निम्न प्रकार जिम्मेदारियों का वितरण किया जाता हैः–

1. **महाप्रबंधक (उत्तर)**
   - i. सम्पूर्ण कार्यों के लिए नोडल ।
   - ii. वरीय पदाधिकारी द्वारा दिये गये अन्य निर्देशों का अनुपालन।
2. **उप महाप्रबंधक (पूर्णियॉ)**
   - i. महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र से सम्न्वय स्थापित कर कुशल श्रमिकों की उपलब्धता एवं योग्यता के अनुसार क्लस्टर को चिन्हित करना ।
   - ii. जिला प्रशासन के सहयोग से स्थानीय स्तर पर कार्य हेतु समूल के लिए भवन/शेड उपलब्ध कराना ।
   - iii. स्थानीय स्तर पर समूल के प्रारंभिक रूप से संचालन हेतु सभी प्रकार की व्यवस्था करना ।
   - iv. वरीय पदाधिकारियों द्वारा दिये गए अन्य निर्देशों का अनुपालन करना ।
3. **महाप्रबंधक (वित्त)**
   - i. कुशल श्रमिकों के समूह का समुचित प्रकार से निबंधन ।
   - ii. निबंधित समूह को बैंकिंग व्यवस्था से संबद्ध कराना ।
   - iii. निबंधन समूह को वित्तीय क्रिया कलापों की विधिवत् जानकारी तथा सहयोग उपलब्ध कराना।
   - iv. निबंधित समूह के वित्तीय कार्यों के समुचित अंकेक्षण की व्यवस्था कराना ।
   - v. निबंधित समूह के लिए निगम के CSR फंड से राशि की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
   - vi. वरीय पदाधिकारी द्वारा दिये गए अन्य निर्देशों का अनुपालन।
4. **महाप्रबंधक (गुण नियंत्रण)**
   - i. समूह के लिए आवश्यकतानुसार मशीनरी की पहचान एवं उपलब्धता सुनिश्चित करना
   - ii. समूह के लिए कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
   - iii. उत्पादित माल की बिक्री की व्यवस्था करना ।
   - iv. समूह को व्यापारिक प्रतिष्ठानों के साथ संबद्ध कराना ।
   - v. वरीय पदाधिकारी द्वारा दिये गए अन्य निर्देशों का अनुपालन ।

17/7/20

(अमित कुमार)
प्रबंध निदेशक